खबर संक्षेप

महावीर जयंती की छुट्टी का फैसला कलेक्टरों पर छोड़ा

भोपाल। महावीर जयंती के सरकारी अवकाश को लेकर बने भ्रम के बीच मध्यप्रदेश शासन ने स्पष्ट आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज यानी 29 मार्च को आदेश जारी कर महावीर जयंती पर अवकाश घोषित करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्णय लेने की छूट दी है। बता दें कि पिछले कुछ सालों से 31 मार्च को महावीर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। वहीं बैंकों में अवकाश को लेकर असमंजस की स्थिति है। सामाजिक संगठनों से मिले ज्ञापनों के बाद शासन ने कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार 31 मार्च की जगह 30 मार्च 2026 को अवकाश घोषित करने की अनुमति दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन जिलों में महावीर जयंती 31 मार्च को ही मनाई जा रही है, वहां पूर्व घोषित अवकाश ही लागू रहेगा और अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर 30 मार्च को महावीर जयंती का अवकाश घोषित किया है। इधर, ग्वालियर, जबलपुर और सीहोर में भी 30 मार्च को ही सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

भोपाल में किराना कारोबारी ने फांसी लगाकर सुसाइड किया

भोपाल। भोपाल के बैरागढ़ इलाके में रहने वाले एक किराना कारोबारी ने अपनी दुकान में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। रविवार तड़के उनकी बॉडी फंदे पर लटकी मिली। सुसाइड नोट नहीं मिलने से आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रविवार की दोपहर को बॉडी पीएम के बाद परिजनों को सौंप दी गई है। उमेश कुमार खतरी पिता हेमंत कुमार खत्री (41) नीलकंठ कॉलोनी शिव मंदिर के पास बैरागढ़ में रहते थे। उनके भाई अजीत ने बताया कि भैया किराना कारोबारी थे, इसी के साथ फाइनेंस कंपनी के लिए रिकवरी का काम भी करते थे। 2007 में शादी हुई और 2016 में पत्नी से तलाक ले लिया। उनके दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे पत्नी के पास हैं। रविवार तड़के उनका शव घर में स्थित दुकान में फांसी के फंदे पर लटका मिला। भाई ने सबसे पहले बॉडी को देखा और परिजनों व पड़ोसियों की मदद से बॉडी को फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने भी चेक करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि मृतक की दुकान की तलाशी में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

एमपी के 169 नगरीय निकायों में एल्डरमैन नियुक्त

भोपाल। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद रविवार को 169 नगरीय निकायों में एल्डरमैन के नामों की घोषणा कर दी गई है। 123 नगर परिषदों में 4-4 जबकि 46 नगर पालिकाओं में 6-6 एल्डरमैन (मनोनीत पार्षदों) नियुक्त किए गए हैं। एल्डरमैन का कार्यकाल वर्तमान परिषद के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा या आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा, ये बाद में पता चलेगा सागर छोड़कर शेष बुंदेलखंड और चंबल के निकायों में सहमति न बन पाने के कारण फिलहाल लिस्ट होल्ड रखी गई है। एल्डरमैन के नामों की घोषणा नगरीय निकाय में सबसे शुरुआती इकाई यानी नगर परिषद से की गई है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति का मुख्य आधार प्रशासनिक अनुभव और नगर पालिका अधिनियम की जानकारी होता है। संगठन की सिफारिश पर नियुक्त होने वाले एल्डरमैन परिषद की बैठकों और चर्चाओं में तो सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं, लेकिन इनके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता। इनका कार्यकाल परिषद के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होता है। सरल शब्दों में कहें तो, ये परिषद के मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं, निर्णायक की नहीं।

इंदौर में हुआ राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप-2026 आयोजन

शरीर की साधना का अद्भुत खेल है बॉडी बिल्डिंग: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बॉडी बिल्डिंग शरीर की साधना का अद्भुत खेल है। यह साधना संगमरमर की मूर्तियों पर रेखा उकेरने जैसा कठिन कार्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं और नई शिक्षा नीति में भी खेलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन को 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय खिलाड़ी और पद्मश्री से सम्मानित प्रेमचंद डिगरा का सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को इंदौर के बॉस्केटबाल कॉम्पलेक्स में 17वीं सीनियर मेन्स-विमेंस नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के भव्य आयोजन को संबोधत कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दो दिवसीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप-2026 के विजेताओं को सम्मानित किया और बॉडी बिल्डिंग में सहभागिता करने वाले खिलाड़ियों की प्रतिभा की सराहना की। प्रतियोगिता इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन, मुंबई के तत्वावधान में राज्य शरीर सौष्ठव संस्था द्वारा आयोजित की गई, जिसमें देश भर से आए खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में पंजाब के टोनू कुमार, केरलम के रियाज टीके, कर्नाटक के प्रशांत कानूकर, उत्तराखंड के पंकज सिंह बिष्ट और तेलंगाना के हरीश वालूगुंडा सहित पांच खिलाड़ियों ने बॉडी बिल्डिंग की सात अनिवार्य मुद्राओं का उत्साहवर्द्धन किया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, विधायक श्री रमेश मेंदोला, श्री मधु वर्मा, श्री महेंद्र हार्डिया, श्री गोलू शुक्ला, श्रीमती मालिनी गौड़, इंदौर सम्भागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह,कलेक्टर श्री शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल सहित जनप्रतिनिधि एवं अन्य राज्यों से आए खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

महिला उत्पीडन पर महिला कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा

रूपाली शर्मा बोलीं-बृजभूषण जैसे नेताओं पर भाजपा ने कार्रवाई नहीं की

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मध्य प्रदेश के पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा की बहू और महिला कांग्रेस नेत्री रुपाली शर्मा ने महिला उत्पीड़न को लेकर बीजेपी नेताओं पर हमला बोला। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रूपाली शर्मा ने कहा कि सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों नहीं कम करती है। भाजपा नेताओं की बहुत लंबी लिस्ट है जिनका महिला उत्पीड़न में नाम है। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। कुलदीप सिंह सेंगर, बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह और अतुल चौरसिया जैसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की। आदिवासी महिलाओं के बलात्कार का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ चलती गाड़ी में रेप हो रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि भाजपा के नेताओं के नाम ही क्यों उत्पीड़न में सामने आ रहे हैं।

म.प्र. वन भूमि पर जन्मी पहली भारतीय चीता 'मुखी' हुई 3 वर्ष की

कूनो में जन्मी चीता 'मुखी' का तीसरा जन्म-दिन गौरव का क्षण: मुख्यमंत्री

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

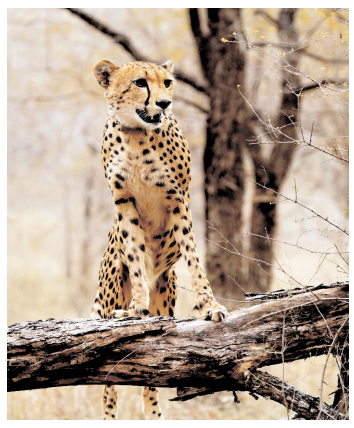

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कूनो में जन्मी चीता मुखी का तीसरा जन्म-दिन प्रदेश के साथ ही पूरे देश के वन्य-जीव संरक्षण के लिए गौरव का क्षण है। प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जन्मी भारतीय चीता मुखी ने 29 मार्च को तीन वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। यह परियोजना के लिये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मध्यप्रदेश में संचालित चीता परियोजना लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। चीता 'मुखी' की कहानी भारत में चीतों की पुनर्स्थापना के प्रयासों के दृढ़ संकल्प, श्रेष्ठ वैज्ञानिक प्रबंधन और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गई है। कूनो नेशनल पार्क में 29 मार्च को 'मुखी' के तीसरे जन्म-दिवस के अवसर पर एक विशेष और भावनात्मक वातावरण देखने को मिला। एक नन्हे शावक से आत्म-विश्वास लबरेज फर्राटे भरती वयस्क चीता और अब एक माँ बनने तक की मुखी की यात्रा प्रेरणादायक रही है। यह यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत में चीतों के संरक्षण और पुनर्वास के प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीता मुखी का जन्म 29 मार्च 2023 को नामीबिया से लाई गई 'ज्वाला' की कोख से हुआ था। वह चार शावकों के समूह में एकमात्र जीवित बची थी। भीषण गर्मी के कारण उसके अन्य तीन भाई-बहन जीवित नहीं रह सके। प्रारंभिक परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण थीं, लेकिन कूनो नेशनल पार्क के पशु चिकित्सकों और वन्य-जीव विशेषज्ञों की सतत निगरानी और देखभाल से मुखी आज पूर्णतः स्वस्थ है।

विशेष देखभाल में हुआ पालन-पोषण: जन्म के साथ ही तीन शावकों की मृत्यु के सदमें में डूबी माँ ज्वाला ने मुखी को भी अस्वीकार कर दिया था। वन विभाग और कूनो के पशु चिकित्सकों ने मुखी का विशेष देखभाल के साथ पालन-पोषण किया। उसे भारतीय जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से प्रशिक्षित और संरक्षित किया गया। समर्पित और समन्वित प्रयासों का परिणाम यह रहा कि मुखी स्वस्थ रूप से विकसित होकर एक ताकतवर और आत्मनिर्भर चीता बन सकी। नवंबर 2025 में मात्र 33 महीने की आयु में मुखी ने पाँच स्वस्थ शावकों को जन्म देकर इतिहास रच दिया। यह पहला अवसर था जब भारत में जन्मे किसी चीते ने स्वयं शावकों को जन्म दिया। इसके साथ ही भारतीय भूमि पर चीतों की दूसरी पीढ़ी का आगमन हुआ।

नाबालिग छात्रा को शराब पिलाकर दो युवकों ने किया रेप

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 युवकों ने 17 साल की लड़की से रेप किया है। आरोपियों ने पहले बीयर पिलाई, फिर नीट शराब पिलाई। इससे नाबालिग नशे में बदहवाश हो गई। आरोपियों ने एक-एक कर वारदात को अंजाम दिया। मामला बागसेवनिया थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, वारदात रेप पीड़िता 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी। इसी दौरान उसकी पहचान मोनिका इंदौरिया (23) से हुई, जो छिंदवाड़ा की रहने वाली है। फिलहाल भोपाल के विद्या नगर में अपनी सहेली रेणुका (26) बुनकर के साथ किराए के फ्लैट में रहती थी।

फ्लैट पर ले जाकर रची गई साजिश दोनों के बीच फोन और सोशल मीडिया पर बातचीत होती थी। मोनिका ने उसे नौकरी और एडमिशन का भरोसा देकर भोपाल बुलाया। 18 मार्च को पीड़िता भोपाल पहुंची, जहां मोनिका उसे अपने फ्लैट पर ले गई और रेणुका से मिलवाया। इसके बाद कुछ देर बाद रेणुका काम पर चली गई। इसी बीच जब पीड़िता नहाने गई, तब मोनिका ने निखिल सिंह और अतुल मेड़कर को फ्लैट पर बुला लिया। रात में दोनों आरोपी वहां पहुंचे। बागसेवनिया पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दो युवतियों सहित दो युवकों को हिरासत में ले लिया है। बागसेवनिया पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दो युवतियों सहित दो युवकों को हिरासत में ले लिया है। नीट शराब पिलाकर किया पहला दुष्कर्म आरोप है कि मोनिका इंदौरिया, निखिल सिंह और अतुल मेड़कर ने पीड़िता को नीट शराब पिलाई, जिससे वह बदहवास हो गई। इसके बाद रात करीब 9 बजे निखिल सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार, उसे अहसास हो रहा था कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन नशे के कारण वह विरोध नहीं कर सकी।

देर रात दूसरी वारदात, रेणुका रही सहयोगी: देर रात करीब 11 बजे अतुल मेड़कर ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान रेणुका बुनकर ने कथित रूप से सहयोग किया। पीड़िता का नशा कुछ कम हुआ था, लेकिन विरोध करने पर उसे धमकाया गया और मारपीट की गई। अगली सुबह होश आने पर पीड़िता बिना किसी को बताए फ्लैट से निकल गई और छिंदवाड़ा लौट गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव वाराणसी में 31 मार्च को रखेंगे मध्यप्रदेश का ओडीओपी मॉडल

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और संकल्प से मध्यप्रदेश में 'एक जिला-एक उत्पाद' (ओडीओपी) को एक प्रभावी आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित किया गया है, जो स्थानीय उत्पादों को पहचान से आगे बढ़ाकर उन्हें बाजार, निर्यात और रोजगार से जोड़ रहा है। इसी सशक्त और परिणामोन्मुख मॉडल को वाराणसी में 31 मार्च को आयोजित सहयोग सम्मेलन में साझा किया जयेगा और यूपी के नवाचारों से अवगत होंगे। ओडीओपी के माध्यम से प्रत्येक जिले की विशिष्टता को चिन्हित कर उसे उत्पादन, प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बाजार उपलब्धता से जोड़ा गया है। मध्यप्रदेश में यह पहल केवल पारंपरिक उत्पादों के संरक्षण तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे एक समग्र वैल्यू चेन के रूप में विकसित किया गया है, जिससे कारीगरों, किसानों और सूक्ष्म उद्यमियों को स्थायी आर्थिक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। सहयोग सम्मेलन में ओडीओपी से स्थानीय उत्पादकों और कारीगरों के आर्थिक सशक्तिकरण का मॉडल साझा किया जायेगा। श्योपुर का अमरूद, मुरैना-भिंड की सरसों, ग्वालियर का सैंडस्टोन, अशोकनगर की चंदेरी हैंडलूम, रतलाम का नमकीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, धार का बाघ प्रिंट, झाबुआ का कड़कनाथ, बुरहानपुर की जरी-जरदोजी, सीहोर का बासमती, बैतूल का सागौन, बालाघाट का चिन्नौर चावल, मंडला-डिंडोरी का कोदो-कुटकी, सतना का टमाटर, शहडोल की हल्दी जैसे विविध उत्पादों को ह्यष्ठह्वक्कके अंतर्गत संगठित कर बाजार से जोड़ा गया है। यह व्यापकता यह दर्शाती है कि प्रदेश के हर हिस्से की आर्थिक क्षमता को व्यवस्थित रूप से विकसित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के ओडीओपी को सिल्वर अवॉर्ड से राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता मध्यप्रदेश के इन समग्र प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। मध्यप्रेश के ओडीओपी मॉडल को अवॉर्ड-2024 में सिल्वर अवॉर्ड प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि प्रदेश के कारीगरों, किसानों और उद्यमियों की दक्षता और सरकार द्वारा विकसित सुदृढ़ इकोसिस्टम का परिणाम है। प्रदेश में ओडीओपी को निर्यात संवर्धन, कौशल विकास और उद्यमिता से जोड़ते हुए कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजार उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, जीआई टैगिंग और ई-कॉमर्स के माध्यम से उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा रहा है, जिससे स्थानीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं।

1.90 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं में से 1.40 करोड़ को मिलती है सस्ते दर पर बिजली: ऊर्जा मंत्री तोमर

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश के कुल एक करोड़ 90 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से लगभग एक करोड़ 40 लाख अर्थात 74 प्रतिशत उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उपभोक्ता श्रेणी के आधार पर यह दर अधिकतम 2.78 रुपये प्रति यूनिट तक होती है, जो कि वास्तविक दर 7.05 प्रति यूनिट से काफी कम है। इन उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। मंत्री तोमर ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत हर माह लगभग एक करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं से प्रथम 100 यूनिट पर मात्र 100 रुपये ही लिये जा रहे हैं। इसी तरह अटल कृषि ज्योति योजना में लगभग 28 लाख कृषि उपभोक्ताओं से कुल वार्षिक देयक की मात्र 7 से 15 प्रतिशत राशि 2 किश्तों में ली जा रही है। इन दोनों योजनाओं में इनके वास्तविक बिजली बिल के अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में विद्युत वितरण कम्पनियों को दी जा रही है। राज्य शासन द्वारा एक हेक्टेयर तक की भूमि एवं 5 एचपी क्षमता तक के स्थाई पम्प कनेक्शन वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निःशुल्क बिजली दी जा रही है। आवश्यकता अनुसार उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए बिजली का विक्रय भी किया जाता है।

नाम परिवर्तन की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड मे त्रुटिवश उसका नाम दमन सिंह (DAMAN SINGH) दर्ज हो गया है, जो की गलत है। मेरे पुत्र का नाम दविंदर गुराया (DAWINDER GURAYA) पिता रंजीत सिंह है, जो कि उसके जन्म प्रामाण पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है । अत प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय / अशासकीय / व्यक्ति गत दस्तावेजों मै दविंदर गुराया (DAWINDER GURAYA) के नाम से जाना व पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम-दमन सिंह
(DAMAN SINGH)
नया नाम-दविंदर गुराया
(DAWINDER GURAYA)

आवेदक-पिता रंजीत सिंह
पता ग्राम पिपरौ, पोस्ट समाया थाना चीनौर, तहसील चीनौर. पिपरौ जिला ग्वालियर मप्र पिन कोड 475110

नाम परिवर्तन की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्राग सिंह परिहार (PRAG SINGH PARIHAR) पिता भोटे सिंह. निवासी 11/1 साई नगर, गौशला गैस गोदाम रोड, आर्मी स्कूल के पास लाल टिपारा, मोरार, मुरार, जिला- ग्वालियर मप्र मेरे आधार कार्ड, मे त्रुटिवश मेरा नाम प्रयाग सिंह परिहार (PRAYAG SINGH PARIHAR) अंकित हो गया है, जो की गलत है। मेरा नाम प्राग सिंह परिहार (PRAG SINGH PARIHAR) पिता-भोटे सिंह है, जो की मेरे मतदाता प्रमाण पत्र, सर्विस बूक, में अंकित है, जो कि सही है । अत प्रकाशन उपरांत अपने सभी शासकीय /अशासकीय / व्यक्ति गत दस्तावेजों में मेरा नाम प्राग सिंह परिहार (PRAG SINGH PARIHAR) से जाना व पहचाना व पढ़ा जावे। सो विदित होवे ।

पुराना नाम-प्रयाग सिंह परिहार
(PRAYAG SINGH PARIHAR)
नया नाम-प्राग सिंह परिहार
(PRAG SINGH PARIHAR)

आईटीआई धामनोद के विद्यार्थियों ने समझी ट्रांसमिशन नेटवर्क की कार्यप्रणाली

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) धामनोद के विद्यार्थियों ने शैक्षणिक एवं व्यावहारिक ज्ञान को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एम पी ट्रांसको) के 132 केवी सब स्टेशन जैतापुरा-पलासिया का औद्योगिक भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को 132 केवी सब स्टेशन जैतापुर पलासिया सहित संपूर्ण ट्रांसमिशन नेटवर्क की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। उन्हें विद्युत पारेषण की प्रक्रिया, अति उच्च दाब (एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज) विद्युत के पारेषण, ट्रांसफॉर्मरों की भूमिका, ट्रांसमिशन नेटवर्क की संरचना एवं नियंत्रण प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सब स्टेशन के कनिष्ठ अभियंता श्री आत्माराम पटेल ने सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों को विभिन्न उपकरणों जैसे पॉवर ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर एवं अन्य महत्वपूर्ण यंत्रों के संचालन और उपयोगिता के बारे में समझाया। साथ ही, उन्होंने विद्युत सुरक्षा के महत्व और कार्यस्थल पर अपनाई जाने वाली सावधानियों पर भी प्रकाश डाला। विद्यार्थियों ने तकनीकी पहलुओं से जुड़े कई प्रश्न पूछे, जिनका सरल और व्यावहारिक तरीके से समाधान किया गया। इस औद्योगिक भ्रमण से विद्यार्थियों को विद्युत पारेषण तंत्र की वास्तविक कार्यप्रणाली को निकट से समझने का अवसर मिला, जिससे उनके तकनीकी ज्ञान और कौशल में वृद्धि हुई। संस्थान के प्राध्यापकों ने इस प्रकार के औद्योगिक भ्रमण को विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया।

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-1 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-9083/अ-6/25-26
मौजा-मोरंगा तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती अनीसा बेगम पत्नि श्री अबरार हसन निवासी 25/2 बडईपुरा पीरगेट भोपाल मप्र, ने द्वारा म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड पत्र दस्तावेज के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमाक 246/122/1 कुल रकबा मे से 0.080 हे. भूमि ग्राम रोजीबे प.ह.न. तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 12.02.2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 02.02.2026 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-हुजूर भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण कमांक-3755/अ-6/25-26
मौजा-कुराना तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। आवदेक श्री अदनान सैय्यद दस्तगीर पुत्र श्री सैय्यद निजाम दस्तगीर निवासी-32 फैस 02 कैहकशा काम्पलेक्स कोहेफिजा व्ही.टी.सी. तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र) म.प्र.भू.राजस्व. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम कुराना प.ह.न. 09 स्थित भूमि खसरा क्रमांक-68/3 रकबा 0.4050 हेक्टेयर भूमि जो राजस्व अभिलेखों मे आवेदक के पति/पिता/माता स्व. श्रीमति चमन अफरोज के नाम पर दर्ज है खातेदार की मृत्यु दिनांक 26.01.2022 को होने के परिणामस्वरूप आवेदक एंव उनके समस्त वैधानिक वारिसो के नाम से फौती नामांतरण स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा । प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 09.09.2025 नियत है ।

उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 21.08.2025 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-हुजूर भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-4653/अ-6/25-26
मौजा-मनीखेड़ी कोट तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। आवेदक श्री सैय्यद तारिक मुबारक पुत्र श्री सैय्यद मुबारक हुसेन निवासी-6 मुबारक काटेज पीरगेट भोपाल (म.प्र.) ने म.प्र.भू.रा. संहिता की धारा 109, 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक एम.पी. 059692018ए1025654 दिनांक 11.01.2018 के आधार पर क्रय की गई भूमि स्थित ग्राम मनीखेड़ी कोट तहसील हुजूर स्थित भूमि खसरा क्रमांक-76/1 रकबा 0.092 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 25.09.2025 को या इस से पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समया वधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10.09.2025 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-हुजूर भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-4652/अ-6/25-26
मौजा-मनीखेड़ी कोट तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। आवेदक श्री मोहम्मद शाहिद खान पुत्र श्री इरफान मोहम्मद निवासी मकान नबंर-10 गली 02 नक्कारखाना भोपाल (म.प्र.) ने म.प्र.भू.रा. संहिता की धारा 109, 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक एम.पी. 059692023ए12151457 दिनांक 18.07.2023 के आधार पर क्रय की गई भूमि स्थित ग्राम मनीखेड़ी कोट तहसील हुजूर स्थित भूमि खसरा क्रमांक-76/2/1 रकबा 0.0534 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 25.09.2025 को या इस से पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समया वधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10.09.2025 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-हुजूर भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-4429/अ-6/25-26
मौजा-मनीखेड़ी कोट तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हे। आवदेक श्री शाहिद मोहम्मद खान पुत्र श्री इरफान शाह खान निवासी-मकान नबंर-10 गली न.02 चिरायु हॉस्पिटल के पास नक्कार खाना पीरगेट भोपाल (म.प्र.) म.प्र.भू. राजस्व. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मनीखेड़ी कोट प.ह.न. 11 स्थित भूमि खसरा क्रमांक-74/2/3 रकबा 0.809 हेक्टेयर भूमि जो राजस्व अभिलेखों मे आवेदक के पति/पिता/माता स्व. श्री फरहान खान के नाम पर दर्ज है खातेदार की मृत्यु दिनांक 14.03.2021 को होने के परिणामस्वरूप आवेदक एंव उनके समस्त वैधानिक वारिसो के नाम से फौती नामांतरण स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा । प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 15.09.2025 नियत है ।

उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01.09.2025 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-हुजूर भोपाल